न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 221/2023

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. किशनी पत्नी मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. गणेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. भंवराराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. शंकर पुत्र महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. हेतराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 10/12/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 514/510 की कुल 5.7304 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 514/510 की कुल 5.7304 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:39 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 514/510 की कुल 5.7304 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. गणेश पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खंईया 2. महावीर प्रनाद पुत्र मालाराम हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया 3. शंकर पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान भरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया – ग्राम धानसिया खसरा न. 568 की 1.3106 है. ख.न. 706 की 1.5546 है. कुल 2.8652 है.
2. किशनी पत्नी मानाराम हिस्सा 1/3 जाति–नायक मा. देह खातेदार 3. भंवराराम पुत्र मालाराम हिस्सा 1/3 जाति– नायक मा. देह खातेदार 6. हेतराम पुत्र मालाराम हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार, – ग्राम धानसिया खसरा न. 568 की 0.220 है.ख. न. 706 की 2.6452 है. कुल = 2.8652 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:39 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 221/2023

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. किशनी पत्नी मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. गणेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. भंवराराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. शंकर पुत्र महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. हेतराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2023 निर्णय दिनांक 10/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 514/510 की कुल 5.7304 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. गणेश पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खंईया 2. महावीर प्रनाद पुत्र मालाराम हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुंईया 3. शंकर पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान भरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुईया – ग्राम धानसिया खसरा न. 568 की 1. 3106 है. ख.न. 706 की 1.5546 है. कुल 2.8652 है.
2. किशनी पत्नी मानाराम हिस्सा 1/3 जाति–नायक मा. देह खातेदार 3. भंवराराम पुत्र मालाराम हिस्सा 1/3 जाति– नायक मा. देह खातेदार 6. हेतराम पुत्र मालाराम हिस्सा– 1/3 जाति– नायक सा. देह खातेदार, – ग्राम धानसिया खसरा न. 568 की 0.220 है.ख.न. 706 की 2.6452 है. कुल = 2.8652 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान आपना–आपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 10/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:16:39 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर